केवल मैडिकल व्यवसायियों के लिए

PHARMA NEWS

Editor- Brejesh Kumar Garg | www.medicaldarpan.com | Monthly News Paper

B.N. Medical Complex, Bulandshahr (U.P.) Postal Reg. No. BSR 37/2024-2026 RNI UPBIL/2007/27885

Year 17 | Issue 07 | DOP 10 March 2024 | Pages 08 | ₹ 10/- Copy | ✆ 09410434811, medicaldarpan.ctp@gmail.com

Lezaa Health Care | FAC Face Amour Cosmo | Lezaa Ayurveda | KareMed A DIVISION OF LEZAA BIOTECH

Lezaa Biotech®

AYURVEDIC & HERBAL FORMULATION

More then 500+ Products Range

OWN MANUFACTURING UNIT CERTIFIED WITH GMP, ISO (9001-2015)

With the Wide Range of :

Tablets | Capsules | Liquids | Dry Syrup | Face Wash
Drops | Lotions | Gels | Ointments | Shampoos
Protein Powders | Ayurveda Products | Neutraceuticals

QUALITY MANUFACTURING OF AYURVEDA & HERBAL PRODUCT

LEZAA GROUP OF COMPANIES (An ISO 9001:2015 Certified Co.)

Ware House : Plot no. 165, Food Park, Phase 1,Sector 2, HSIIDC, Saha, Ambala-133104(HR)
Head Office: Plot No. 397-398 Jaggi Garden, Ambala City, Hariyana-134007
Manufacturing Unit : Khasra No. 21/1/2, Binjhol Road, Near Gas Godwon Panipat Hry-132103
E-mail: lezaaayurveda@gmail.com, lezaabiotech@gmail.com
Website: www.lezaaayurveda.com / www.lezaabiotech.com / www.karemed.in

CONTACT US : +91 7027104999, +91 8059280999

Our General Divisions

MERRIL | MESTRA | Sterile Genetics

Third Party Enquiry Also Welcome

And many more ...

We have more then 250 products in our successfully running company.

For any query :- 9719839944

New Molecules available

Natural Progesterone 300mg SR Tab
Faropenem-200mg Tab.
Ambroxol+ Levocetrizine+ Montelukast
Trypsin+ Rutoside+ Bromeline+ Diclofenac
Sultamycillin-375mg Tab.
Rifaximin-400mg Tab.
Thiocolchicoside+ Aceclofenac+ Paracetamol
Medoxyprogesterone 10mg

Introduce New Derma Division

Emocare | Nuecad Cardiac-Diabetic division | Womena Gyne-infertility division | Beaukin (A Derma Division of Merril Pharma)

Piraciti-Plus Citicoline 200mg + Piracetam 800mg Tab.
Metolip-ER 25/50 Metoprolol Tartrate 25/50 (ER)
Gensure-Sachet L-Arginine 3gm. + Proanthocyanidin 75 mg.
Antihist-D Desloratadine 10 mg.
Velpy-200/300/500 Sodium Valporate With Valporic Acid
Nuepido-AS Clopidogrel 75 mg +Aspirin 75 mg
Gensure-LC
Tacroril Tacrolimus Cream 0.03
Emofexine Tab. Desvenlafaxine 50mg ER
Nuepido-Plus Clopidogrel 75 mg +Aspirin 150 mg
NMPC-softgel/SR tab/ Inj.
Candigel Luliconazole 1.0% w/w
Emofexine Plus -50 Desvenlafaxine 50 mg + Clonazepam 0.5 mg
Tenzex-M Teneligliptin 20mg + Metformin Hydrochloride 500mg
Gensure-F
Eberil Eberconazole 30 mg

Registered Office :- A-401/402, Empire Business Hub, Science City Road, Ahmedabad-380060 (Gujrat)-India,
Email : order@mestrapharma.com Website : www.mestrapharma.com

"Excellence In Healthcare Everyday"

DEUS LABORATORIES PVT. LTD.

Deus Laboratories Pvt. Ltd
A wide range of speciality products in Third Party Manufacturing, PCD Franchises, Generic & OTC including Tablets, Capsules, Liquids, Ointments, Dry Syrups, Lotions & Neutraceutical Products.

Requires:
* Financially sound parties for state wise monopoly rights.
* Sales Promotional Managers state wise.

DEUS LABORATORIES PVT. LTD.

Manufacturing Unit:
Khasra No. 26 kA Shiv Ganga Industrial Estate
Village. Lakeshwari, Bhagwanpur Roorkee
District. Haridwar Uttrakhand 247661

Corporate Office:
2nd Floor SLV Tower Kanwali Road,
Near Balliwala Chowk Dehradun
Uttrakhand 248001

Contact Details:
Head Office: 7773006620
Sales: 8006077773
Production:8006077772
Designing: 7060028254
Customer Care: +91 135 314 4200
Mail: deuslaboratories@gmail.com

शुभकामनाएं दी

तरुण मित्र परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार जैन (मनोनीत निगम पार्षद) को जन्म दिवस की हार्दिक शुभ कामनाएँ प्रेषित की गई। परिषद के महासचिव अशोक जैन व सहसचिव आलोक जैन ने

दरियागंज स्थित उनके कार्यालय मे पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए उनके 56वें वर्ष मे प्रवेश करने पर स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना की और आशा की कि वे अपने व्यापार मे एक सफल व्यवसायी व राजनैतिक व सामाजिक जीवन मे उच्च शिखर तक पहुंचकर समाजसेवा के क्षेत्र मे बढ़चढ़ कर कार्य करते रहें। परिषद के उपाध्यक्ष अशोक कुमार जैन, कमल कुमार मेहरोत्रा, संगठन सचिव राकेश जैन, अनिल जैन, पी. के. जैन, निर्मल मेहरोत्रा, सहित सभी पदाधिकारियों ने अपने संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर अनेकों राजनेताओं, व्यापारिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मनोज कुमार जैन ने सभी का शुभ कामनाएँ प्रेषित करने हेतु आभार व्यक्त किया।

– अशोक जैन, महासचिव
मो० 9266638138

सौंदर्य प्रसाधन के सैंपल फेल

दिनांक 22 फरवरी 2024 को शिकायत की सूचना के आधार पर हापुड़ औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने दिल्ली रोड़ स्थित ZUDIO (जुडियो) के शोरूम में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 2020 के अंर्तगत 2 लिपिस्टिक सहित एक नेलपेंट कुल तीन सैंपल लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे कार्यवाही के दौरान मंडल औषधि निरीक्षक गौरव लोधी भी मौजूद रहे। उर्मिला अग्रवाल ने बताया जांच रिपोर्ट सही ना आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी उन्होंने कहा कि समय समय पर दवाओं के साथ सौंदर्य प्रसाधन सामानों (कॉस्मेटिक आईटम) की सैंपलिंग आगे भी जारी रहेगी किसी भी हाल में जनपद में नकली एवं अधोमानक दवाओं व कॉस्मेटिक समान की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। – विकास गर्ग, मो० 9837577233, हापुड़

Contract Research manufacturer
In Quality and state of Art sections of-

AYURVEDIC AYUSH MARK PRODUCTS
TABLET | CAPSULES | OIL | BHASMA | SYRUP

COSMECEUTICALS
SERUM | PSORIASIS | VITILIGO | SKIN CARE | HAIR CARE

ALLOPATHIC
TABLET | CAPSULE | OINTMENT

NUTRACEUTICALS

Rajani Healthcare Products

Office Address: Purva Complex, Sadashiv Peth Pune 411 030, Maharashtra India
Plant: E-18/1, Jejuri MIDC Tel: Purander Dist: Pune Maharashtra India 412 303, www.rajanipharma.com

pharma789@gmail.com, export.rhcp@gmail.com, info@rajanipharma.com, business@rajanipharma.com
+91 20 24471007 +91 20 24473132 +91 9823096996 +91 8793340533 +91 9168316618 +91 9604639665

ऊंचाई पर पहुंचना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं...

PCD / FRANCHISEE

V & U Pharmaceuticals

Quality Service Reliability GUARANTEE

Where Quality is the Core

All Products of V & U Pharmaceuticals are manufactured under stringent quality control in approved manufacuring facilities.

WHO GMP CERTIFIED | GMP | ISO 9001 CERTIFIED

A NAME SYNONYMOUS TO QUALITY & TRUST
INVITING PROPOSAL FOR FRANCHISEE ACROSS COUNTRY

1. One of the best quality products and packaging.
2. Attractive Pricing.
3. Comprehensive & expanding produt basket
4. Expert Marketing Support/ Print Inputs.
5. Attractive Bonanza

TABLETS/CAPSULES
SYRUPS/LIQUIDS
RESPULES/ROTACAPS
DEVICES/CREAMS

V & U PHARMACEUTICALS
Contact: 7017051435/9999355975
H-1.39N,RIICO Industrial Area, Khushkhera, Bhiwadi, Distt:Alwar, Rajasthan 301707
sales@vnupharmaceuticals.com; vnupharmaceuticals@gmail.com
www.vnupharmaceuticals.com

We Welcome Your Inquiries for 3rd Party Manufacturing

Committed to Create Miracles

MIRACLE LIFE SCIENCES

GMP | GLP | FDA APPROVED

Best quality of efficiency Product we directly approved by WHO GMP
With the Wide Range of :

Tablets | Capsules | Liquids | Dry Syrup | Dry-Inj.
Drops | MEDICATED SOAP | Syrup | Ointments | Veterinary Bolus
Beta & Non-Beta | Ophthalmic Drops | Veterinary Inj.

Excellent Packing Like Alu-Alu, Blister & Strip Packing

Brand Promotional Input Like......

Visual aid | Sample Catch covers | Visiting Cards | Product Literature | MR Bags | DCR Pad | Gifts

Trade Enquiries are Welcome for Third Party MFG. / PCD Franchises Distribution on Monopoly basis in PAN India.

M. +91 9897039922, 9897939961, 7037039923

MIRACLE LIFE SCIENCES
(Behind Patanjali Yog Peeth) 148, Village : Bahadarpur Saini, Post: Daulatpur Bahadrabad-249 405, Haridwar (U.K.)
Email : miracle.patel@gmail.com Web: www.miraclelifesciences.in

मेटोप्रोलोल टैबलेट जांच में फेल

बरेली- हृदयरोग के मरीजों को दी जाने वाली दवा मेटोप्रोलोल टैबलेट -50 एमजी जांच में अधोमानक पाई गई है। इस दवा का सैंपल भदोही जिले के औषधि विभाग ने जांच के लिए भेजा था। यह लैब टेस्ट में फेल पाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यूपी मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन ने दवा के वितरण पर रोक लगाकर दवा वापस करने को कहा है। रिलिफ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने मेटोप्रोलोल टैबलेट-50 एमजी दवा की सप्लाई करीब दो साल पहले यूपी मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन को की थी। प्रदेश के सभी 75 जिलों को 10 लाख से अधिक टैबलेट सप्लाई की गई थी। बरेली को 20 हजार टैबलेट मिली थी। बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी जिले में 10-10 हजार टैबलेट लखनऊ से सप्लाई की गई थी। यह दवा डेढ़ साल पहले अस्पतालों में आई थी और तभी से मरीजों को बांटी भी जा रही थी। बीते साल नवंबर में भदोही जिले में औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मेटोप्रोलोल दवा का सैंपल जनपद के वेयर हाउस से लिया था। उसकी जांच मेरठ लैब में हुई। जांच रिपोर्ट में दवा अधोमानक निकली है। मेरठ की लैब ने नवंबर माह में ही रिपोर्ट दे दी थी कि मेटोप्रोलोल टैबलेट-50 एमजी जांच में अधोमानक निकली है। इसके बाद भी दवा का वितरण जारी रहा। फरवरी माह में उप्र मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन ने सभी जिलों के ड्रग वेयर हाउस प्रभारी फार्मासिस्ट को पत्र भेजकर दवा बांटने पर रोक लगाई है। बची हुई दवा को वापस मंगाया गया है। जनपदीय ड्रग वेयर हाउस प्रभारी ने जिला अस्पताल, सीएचसी प्रभारियों को पत्र लिखकर दवा वापस करने को कहा है। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप संयुक्त जिला चिकित्सालय में भी दवा मेटोप्रोलोल 50 एमजी की सप्लाई आई थी। उसके वितरण पर रोक लगा दी है।

कफ सिरप समेत 62 प्रकार की दवा जब्त

सिद्धार्थनगर- कफ सिरप समेत 62 प्रकार की दवा तस्करी पकड़ी है। एसएसबी 43वीं वाहिनी सीमा चौकी खुनुवां की टीम ने दवा तस्करी पकड़ी। आरोपी तस्कर दवाओं को छोड़कर नेपाल सीमा में भाग गए। बरामद दवाओं को कस्टम को सुपुर्द कर दिया गया। एसएसबी 43वीं वाहिनी उज्जल दत्ता ने बताया कि सीमा स्तंभ पर पिलर संख्या 556 के पास दवा तस्करी होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सीमा चौकी खुनुवां से सहायक उप निरीक्षक नोबिन गोगोई के नेतृत्व में टीम चिन्हित स्थान पर पहुंची। टीम ने मौके पर देखा कि कुछ लोग कंधे पर बोरी लादे भारत से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नाका पार्टी को देखते ही वे लोग बोरी छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए नेपाल में भाग गए। कमांडेंट ने बताया कि नाका पार्टी ने मौके से बरामद सभी बोरियों को खोलकर देखा। इनमें अलग-अलग ब्रांड की कुल 62 तरह की दवाइयां मिलीं। इन्हें अवैध तरीके से भारत से नेपाल ले जाया जा रहा था। बरामद दवाओं को कस्टम के सुपुर्द कर दिया गया है। कमांडेंट के अनुसार भारत-नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए एसएसबी नाका, पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है।

दवा ओलापारिब बेचने पर Delhi HC की रोक

नई दिल्ली- नैटको फार्मा को कैंसर की दवा ओलापारिब बेचने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फार्मा को अगले आदेश तक ओलापारिब को ब्रैकनैट या अन्य ब्रांड नाम के तहत बनाने और बेचने से रोक दिया है। बताया गया है कि नैटको फार्मा ओलापैरिब का निर्माण और बिक्री करके सूट पेटेंट का शोषण कर रहा है। यह भी स्वीकार किया गया है कि यह शोषण सूट पेटेंट के जीवन के 19वें वर्ष में हुआ है। पेटेंट अधिनियम की धारा 64 में निहित किसी भी आधार पर सूट पेटेंट की अमान्यता के प्रति संवेदनशीलता का कोई विश्वसनीय मामला नैटको द्वारा बनाया गया नहीं है। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने कहा कि चूंकि मुकदमे के पेटेंट की वैधता को कोई विश्वसनीय चुनौती नहीं दी गई है। इसके चलते अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना आवश्यक रूप से मंजूर की जानी चाहिए। कुडोस फार्मास्यूटिकल्स ने लगाया सूट पेटेंट के उल्लंघन का आरोप गौरतलब है कि कुडोस फार्मास्यूटिकल्स ने अपने सूट पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसमें कहा गया है कि ओलापैरिब का विशेष रूप से सूट पेटेंट के लिए उसके आवेदन में खुलासा किया गया था। उसकी याचिका दायर होने तक कोई विरोध नहीं हुआ था। मुकदमा दायर होने के बाद ही नैटको ने अपने पेटेंट को रद्द करने की मांग की।

बायोकॉन बायोलॉजिक्स इस फार्मा के साथ मिलकर बनाएगी आंखों की दवा

मुंबई- बायोकॉन की सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने बेयर और रिजेनेरॉन फार्मास्युटिकल्स के साथ समझौते का ऐलान किया है। इस समझौते से बायोकॉन बायोलॉजिक्स को कनाडा के बाजार में आईलिया (एफ्लिबरसेप्ट) इंजेक्शन के लिए प्रस्तावित बायोसिमिलर येसाफिली पेश करने की सुविधा हो जाएगी। बताया गया है कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स 1 जुलाई, 2025 से पहले येसाफिली पेश करेगी। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने मार्च 2023 में येसाफिली को अस्थायी मंजूरी दी थी। समझौते की शर्तों के अनुसार बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने शीशियों और प्रीफिल्ड सिरिंजों के लिए येसाफिली 2 मिल. ग्राम न्यू ड्रग सबमिशन (एनडीएस) पेश करने की तारीख सुरक्षित कर ली है। यह 1 जुलाई, 2025 तय की गई है। बता दें कि यह ऐलान मार्च 2023 में येसाफिली की 2 मिलीग्राम की शीशियों के लिए कनाडा के स्वास्थ्य विभाग की अस्थायी मंजूरी के बाद किया गया है। गौरतलब है कि येसाफिली आईलिया का बायोसिमिलर है। इसका उपयोग विभिन्न नेत्र रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। यह समझौता कनाडा में पेटेंट उल्लंघन की कार्यवाही सुलझाने के बाद किया गया है। इससे बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए येसाफिली के साथ कनाडा के बाजार में प्रवेश करने का रास्ता खुल गया है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स वैश्विक स्तर पर अपने बायोसिमिलर पोर्टफोलियो को सक्रिय तौर पर बढ़ा रही है।

59 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड

जयपुर- प्रतिबंधित दवा बेचने पर 59 मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं, दो दवा विक्रेताओं के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर में नशीली दवाओं के अवैध

कारोबार एवं दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दवा विक्रेताओं की गहनता से जांच की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि अभियान के तहत बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में करीब 35 लाख रुपये की दवाओं के स्टॉक को जब्त किया गया है। 59 औषधि विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित, दो दवा दुकानदारों के लाइसेन्स कैंसिल किए गए हैं। करीब 200 दवा विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया गया है। इनमें से 33 दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले। 112 दवा दुकानदार एनडीपीएस घटकयुक्त औषधियों के विक्रय बिल नहीं दिखा पाए। औषधि नियंत्रण अधिकारी जोधपुर पंकज गहलोत की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजय त्यागी के कब्जे से एनडीपीएस घटकयुक्त औषधि का स्टॉक जब्त कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर अमनदीप ने बिना औषधि अनुज्ञाप्त के संचालित की जा रही फर्म के मालिक राहुल के कब्जे से दवाओं के स्टॉक को जब्त किया है। औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर की पर्ची पर ही एनडीपीएस घटकयुक्त दवाइयां बेची जाएं। साथ ही मरीज के नाम विक्रय बिल जारी किया जाए।

ड्रग वेयर हाउस की दवा मिली नकली

बरेली- ड्रग वेयर हाउस से सरकारी अस्पताल में भेजी गई आंख, कान की दवाइयां जांच में फेल पाई गई हैं। इन दवाओं के सैंपल बदायूं के ड्रग वेयर हाउस से लिए गए थे। विभाग की ओर से सभी शीशियों को वापस मंगा लिया गया है। साथ ही संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर उस बैच की सभी दवाओं को बांटने पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार की जेपी ड्रग कंपनी की ओर से बदायूं के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए प्रेडनिसोलोन सोडियम फॉस्फेट ड्रॉप सप्लाई की गई थी। प्रेडनिसोलोन सोडियम फॉस्फेट ड्रॉप आंख, कान की सूजन कम करने के काम आती है। सप्लाई आने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी थी। इसी बीच मंडल मुख्यालय से खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ड्रग वेयर हाउस पहुंच गई। उन्होंने इस दवा के साथ अन्य दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल लिया था। जांच में आंख और कान की सूजन को ठीक करने वाला यह ड्रॉप जांच में खरी नहीं उतरी। लैब से जांच रिपोर्ट फेल मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर बबिता रानी ने संबंधित दवा कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि उन्होंने इस बैच की दवाएं और किस-किस जिले में भेजी हैं। लखनऊ से भी सभी ड्रग वेयर हाउस को पत्र जारी कर इस बैच के बारे में जानकारी दी जाएगी। ड्रग वेयर हाउस लखनऊ के इंचार्ज गौरव शंखधार ने बताया कि उनके पास इस दवा की करीब तीन हजार शीशी आई थीं, जो अब वापस भेजी जाएंगी।

डॉक्टर पर एसीबी का छापा

जयपुर- एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजन लांबा के घर और हॉस्पिटल पर एसीबी ने छापेमारी की है। यह छापामारी आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में जयपुर, सीकर और झुंझुनूं में की गई। जांच एजेंसी की टीमें डॉ. रंजन के जयपुर, झुंझुनूं और सीकर स्थित हॉस्पिटल-घर पर पहुंची। डीजी एसीबी राजीव शर्मा के अनुसार डॉक्टर रंजन लांबा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की एसीबी इंजेलिजेंस से जांच करवाई गई। एसीबी को जांच में कई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार जयपुर, झुंझुनू, सीकर समेत कई जगह पर छापेमारी की हैं। एसएमएस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इसके बाद डॉक्टर के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया। न्यायालय से अनुमति के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर के घर और अस्पताल पर छापेमार कार्रवाई की है। डॉक्टर के जयपुर, झुंझुनू, सीकर स्थित अस्पताल और घर पर एसीबी की टीमें सर्च कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक एसीबी की टीम डॉक्टर के जयपुर में चित्रकूट स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमार करवाई कर रही है। झुंझुनूं में डॉक्टर के एक प्राइवेट अस्पताल और आवास पर जांच की जा रही है। सीकर में डॉक्टर के फ्लैट और आवास पर टीम कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है कि डॉक्टर ने एसएमएस अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते हुए संपत्तियां अर्जित की थीं। एसीबी की कार्रवाई से चिकित्सा महकमे में भी हड़कंप मच गया है। कार्रवाई अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद कई बड़े खुलासे सामने आने की संभावना है।

अमृत और मृत्यु – दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है
"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है?" –चाणक्य

रोग की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी, चार्ज नहीं लगेगा, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश

नई दिल्ली– दुर्लभ रोग की दवाओं और इलाज पर कस्टम ड्यूटी व चार्ज नहीं लगाया जाएगा। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हंटर सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीडित बच्चों के इलाज से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। याचिकाओं में मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की मांग की गई, जोकि बहुत महंगा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत पिछले साल 29 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना पर ध्यान दिया। इसमें दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष मेडिकल प्रयोजनों के लिए दवाएं या भोजन शामिल हैं। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं और उपचारों पर कस्टम ड्यूटी और चार्ज नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी दुर्लभ बीमारियों के संबंध में दवाएं लाई जाती हैं तो कस्टम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें शीघ्रता से मंजूरी दे दी जाए। यह तय करने में कोई अनावश्यक बाधा न हो कि वे संबंधित अस्पताल तक पहुंच जाएं। वर्तमान आदेश को रजिस्ट्री और सीजीएससी कीर्तिमान सिंह के माध्यम से अनुपालन के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड (सीबीआईसी) को सूचित किया जाए। बीते साल नवंबर में अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों के लिए दवाओं की खरीद की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। इनके लिए मूल्यांकन पूरा हो चुका है और जो फंड के अनुसार इलाज के लिए उपयुक्त हैं। अदालत ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति को निर्देश दिया कि वह आनुवांशिक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए दवाओं का निर्माण और विपणन करने वाली कंपनियों के साथ विचार–विमर्श करे। ताकि उचित मूल्य पर दवाओं की खरीद की संभावना का पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि जस्टिस सिंह ने पिछले साल मई में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसका मकसद दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय नीति, 2017 को कुशल तरीके से लागू किया जाना था। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ अंतिम रोगियों तक पहुंच पाए।

शरबत आँवला

आँवला की सीजन चल रहा है. पके हुए आँवले से बनाए आँवले का शरबत शरबत आँवला बनाने की विधि और किस रोग में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए.

घटक द्रव्य– आँवले का रस 1 लीटर, देशी गाय का दूध 2 लीटर, देशी खांड बुरा 1 किलो 500 ग्राम.

आँवले का रस को कड़ाही या किसी बर्तन में डालकर गर्म करे और फिर उसमे गाय का दूध डाल दे और थोड़ी देर पकने पर जब दूध अच्छी तरह फट जाए तब मलमल के कपड़े से कड़ाही के द्रव्य को छान ले छाने हुए लिक्विड में खांड बुरा डालकर अच्छी तरह पकाए और दो तार की चाशनी तैयार कर लीजिए यह आपका आँवला शरबत बनकर तैयार है इसको किसी कांच की बोतल या जार में पैक करके रख लीजिए.

प्रयोग विधि – 20 मिली शरबत और 10 मिली सौंफ अर्क मिलाकर पानी मिलाकर सुबह शाम सेवन करे. जिन लोगो को चक्कर आते है या भ्रम पैदा होता है उनके लिए यह शरबत बहुत लाभकारी है यह दिल को ताजगी देता है मन को खुश करता है. इस योग को बनाने का सही समय यही है क्योंकि इस समय आँवला अच्छा पका हुआ और ताजा मिल जाता है इस शरबत को सेवन करने का सही समय अप्रैल से जून तक हैं।

– वेद अमेन्द्रमोहन, गोरखपुर, मो० 9415037450

दवा कारोबारियों की संपत्ति सीज

रुडकी– नकली दवा बनाने वाले दो कारोबारियों की पुलिस ने करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की संपत्ति को सीज कर दिया है। पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने दोनों आरोपियों की 4.50 करोड़ की संपत्ति जब्त के आदेश दिए थे। आरोपियों की सीज की गई संपत्ति में फैक्टरी, लग्जरी कार, मकान और खेती की जमीन शामिल है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले पुलिस ने नकली दवा मामले में विशाल निवासी अमरावती, महाराष्ट्र एवं हाल निवासी आनंद विहार कालोनी मक्खनपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार व पंकज निवासी बहादरपुर खादर कोतवाली लक्सर को गिरफ्तार किया था। विशाल इसमें मुख्य आरोपी है। पुलिस ने 2022 में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी की थी। मामले की जांच के दौरान पता चला कि दोनों आरोपियों ने नकली दावा का कारोबार करके फैक्टरी, लग्जरी गाड़ी, जमीन, रुडकी में मकान आदि खरीदे हैं। इस संपत्ति को चिह्नित करते हुए पुलिस ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने इस मामले के दोनों आरोपियों की ओर से बनाई गई 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर सीज करने के आदेश दिए थे। एसएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी विशाल ने नकली दवा का धंधा करके फैक्टरी एवं जमीन खरीदी है। उसके साथी पंकज ने नकली दवा से कमाए रुपयों से अपने पिता एवं रिश्तेदारों के नाम से खेती की जमीन, गाड़ी खरीदी हैं। इन सब संपत्ति को जब्त कर सीज कर दिया गया है। संपत्ति सीज करने के बाद रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई है।

एक साल में 150 मेडिकल स्टोर निलंबित

गया (बिहार)– औषधि विभाग की दवा कारोबार पर सख्त नजर टिकी है। आंकड़े बताते हैं कि सालभर में करीब 150 मेडिकल स्टोरों को निलंबित किया गया। वहीं, पांच दवा दुकानों के लाइसेंस कैंसिल किए गए। औषधि विभाग की नजर दवा की गुणवत्ता, जीएसटी व फार्मासिस्ट से लेकर अन्य बिंदुओं पर बनी हुई है। इसी के चलते बीते वर्ष में दवा दुकानों पर कार्रवाई के अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। जनवरी से दिसम्बर 2023 तक करीब 150 दुकानें निलंबित की गई हैं। यही नहीं, बीते छह माह में निलंबन से लेकर कैंसिल करने कार्रवाई ज्यादा हुई हैं। सहायक औषधि नियंत्रक विजय कुमार के अनुसार नकली दवा की बिक्री, जीएसटी की चोरी, स्थायी रूप से फार्मासिस्ट नहीं रहना जैसे मुख्य कारणों के चलते दवा प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि कैंसिल की गई पांच में तीन दुकानें गया शहर, एक फतेहपुर और एक मानपुर की हैं। उन्होंने बताया कि गया शहर की थोक मंडी स्थित रघुनाथ फार्मासिस्ट पर नकली दवा मिलने से लाइसेंस कैंसिल किया गया। वहीं, फतेहपुर के मां फार्मा पर 55 लाख रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। इस कारण इसे रद्द किया गया। फार्मासिस्ट नहीं मिलने से गया शहर के रंग बहादुर रोड स्थित न्यू किसान मेडिकल की रद्द की गई। इसी प्रकार, फार्मासिस्ट के नहीं रहने पर मानपुर भुसुंडा के मुन्ना मेडिकल और गया शहर के जीबी रोड स्थित प्रताप मेडिकल हॉल के लाइसेंस कैंसिल किए गए। उन्होंने बताया कि विभाग की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

अवैध स्टॉक से भरा मिला गोदाम, सैंपल जब्त

हैदराबाद– मेडिकल सैंपल के अवैध स्टॉक से भरे गोदाम पर छापामारी की गई है। टीम ने गोदाम से करीब 60 हजार रुपये कीमत के सैंपल बरामद किए हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने गुप्त सूचना मिलने पर रंगारेड्डी जिले के दिलसुखनगर के पीएंडटी कॉलोनी में बने एक गोदाम पर रेड की। डीसीए अधिकारियों को पता चला कि कोडकंदला श्रीनिवास ने बिना लाइसेंस वाले गोदाम में अवैध रूप से रखे गए चिकित्सकों के दिए जाने वाले सैंपल का भंडार कर रखा है। बता दें कि फार्मास्युटिकल कंपनियां मेडिकल सैंपल का निर्माण डॉक्टरों को देने के लिए करती हैं ताकि वे इन्हें अपने रोगियों को निःशुल्क दे सकें। इन्हें सैंपल को बेचने के लिए नहीं बनाया जा है। डीसीए अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कुल 52 प्रकार के मेडिकल सैंपल जब्त किए हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स, मधुमेह विरोधी दवाएं, अल्सर विरोधी दवाएं, उच्चरक्तचापरोधी दवाएं, एंटीफंगल दवाएं आदि शामिल हैं। इनकी कुल कीमत रुपये 60,000 बताई गई है। डीसीए अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच की जाएगी और सभी अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों के सैंपल का अवैध भंडारण और बिक्री औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत पांच साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।

जनहित में जारी

आपको विदित है की वित्तीय वर्ष २०२३–२४ समाप्त होने में केवल 1 माह की अवधि शेष है, एवं माह फरवरी एवं माह मार्च के GSTR-1 जाने है. अतः आपसे निवेदन है की वर्ष में जिन भी व्यापारियों से GST सम्बंधित लेन देन हुए है उनके खातों का मिलान करके यदि कोई बिल एंट्री करने से छूट गए हो अथवा बिल में GST की राशि, दिनांक, माल खरीदने वाले का GST क्रमांक, बिल क्रमांक आदि कोई भी सुधार करने की आवश्यकता हो तो कृपया 31.03.2024 तक सूचित करें. साथ ही साथ आपके ऑनलाइन जनरेटेड GSTR2B का निरिक्षण कर यदि आपके सप्लायर द्वारा आपको कोई इनवॉइस जारी किया गया हो जो की GSTR2B में परिलक्षित नहीं हो रहा हो अथवा गलत राशि परिलक्षित हो रही हो तो कृपया अपने माल अथवा सेवा आपूर्तिकर्ता से संपर्क कर उचित कार्यवाही करने का निवेदन करें.

–प्रकाश दानवे, मो० 9923080627.

प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी

उज्जैन– प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब किसी भी मरीज की मौत होने पर निःशुल्क शव वाहन मुहैया कराने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल संचालक की होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक मरीज की मौत होने पर बकाया बिल की वसूली के लिए डेड बॉडी देने से मना नहीं कर सकेंगे। उन्हें शव परिजनों के सुपुर्द करना ही होगा। मप्र स्वास्थ्य आयुक्त ने डेड बॉडी मैनेजमेंट गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि यह गाइडलाइन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बीते साल की गई सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है। निजी अस्पतालों में नई व्यवस्था को लागू करने के लिए गाइडलाइन नर्सिंग होम एसोसिएशन और नर्सिंग होम संचालकों को भेजी गई है। निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में मरीज की मौत होने पर शव की सुपुर्दगी परिजन को नहीं होने तक शव को बॉडी फ्रीजर में सुरक्षित रखना होगा। इस दौरान शव को सम्मानजनक प्रोटोकॉल में रखना भी सुनिश्चित करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पताल या नर्सिंग होम संचालक शव को बिल वसूली के लिए बंधक बनाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य संचालनालय की अस्पताल प्रशासन शाखा करेगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर शव परिजन को सुपुर्द करने के साथ ही अस्पताल संचालक की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। हॉस्पिटल डायरेक्टर को मृतक के परिजन से चर्चा कर उनकी जरूरत को समझना होगा। शव को संबंधित के घर तक निः शुल्क शव वाहन से पहुंचाना होगा। नगरीय निकाय से समन्वय कर निःशुल्क शव वाहन मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी हॉस्पिटल संचालक की होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए लावारिस व्यक्ति की मौत की सूचना क्षेत्र के संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को देना होगी। इसके अलावा, जब तक शव पुलिस या परिजन के सुपुर्द नहीं हो जाता, तब तक बॉडी फ्रीजर में भी रखनी होगी।

अस्पताल में इलाज के लिए पूरे देश में एक शुल्क तय हो

इंदौर– अस्पताल में इलाज के लिए पूरे देश में एक शुल्क तय करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्देश में केंद्र सरकार को अगले छह सप्ताह के अंदर मरीजों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अस्पताल उपचार शुल्क को शीघ्रता से तय करने को कहा है। बताया गया है कि वर्तमान में अलग-अलग अस्पताल इलाज के लिए अलग-अलग दरें वसूलते हैं, जिससे देश में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रणाली को लागू करना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की। आदेश में कहा गया है कि हम भारत संघ के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश देते हैं कि वे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों में अपने समकक्षों के साथ बैठक करें। सुनवाई की अगली तारीख (अगले छह सप्ताह में) तक एक ठोस प्रस्ताव लेकर आएं। सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 में बनाए गए नियमों को 12 राज्य सरकारों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है। 2012 के नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के मद्देनजर दरें तय की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा तब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से कोई प्रतिक्रिया न हो। बताया गया कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न पत्र भेजे गए हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इसलिए दरों को अधिसूचित नहीं किया जा सका। पीठ ने कहा कि भारत संघ केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया है और वे जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ने अस्पतालों को कैशलेस एवरीव्हेयर पहल को स्वीकार करने के प्रति आगाह किया है। इसे हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा अपने मौजूदा प्रारूप में पेश किया गया है। जनरल इंश्योरेंस (जीआई) काउंसिल के अध्यक्ष तपन सिंघल ने कहा कि हमने हमेशा यह कहा है कि हमें ग्राहकों से उचित लागत वसूलने की जरूरत है। चाहे वह पॉलिसी लेते समय हो या दावे के समय कुछ खर्च वहन करना हो। यह उत्साहजनक है कि शीर्ष अदालत ने केंद्र से मानक अस्पताल दरों पर निर्णय लेने का आग्रह किया है। हमारा मानना है कि हर जगह कैशलेस के साथ-साथ इससे अंततः हमारे नागरिकों को लाभ होगा। इनके लिए अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है।

कॉम्बीफ्लेम टैबलेट

कॉम्बीफ्लेम टैबलेट में दो दर्द निवारक दवाएं शामिल हैं. ये साथ मिलकर दर्द, बुखार, और सूजन को कम करने के लिए काम करते हैं. कॉम्बीफ्लेम टैबलेट को साइड इफेक्ट कम करने के लिए भोजन के साथ लेना सबसे अच्छा है. डोज और कितनी बार आपको इसे लेने की जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताए जाएंगे. आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लेना चाहिए. दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं आमतौर पर दर्द का पहला लक्षण दिखते ही लेना बेहतर होता है.. यह केवल शॉर्ट-टर्म उपयोग के लिए है. अगर लक्षण बने रहते हैं या अधिक बिगड़ जाते हैं या दवा 3 से अधिक दिनों के लिए आवश्यक है, तो डॉक्टर से परामर्श करें. अगर यह दवा का सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो साइड इफेक्ट रेअर होते हैं लेकिन इससे सीने में जलन, अपच, मिचली आना, और पेट में दर्द हो सकते हैं.अगर इनमें से कोई भी परेशान करता है या नहीं जाता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें. आमतौर पर, इस दवा को सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है, लेकिन यह सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती. इसे लेने से पहले, अगर आप शराब पीते हैं, ब्लड-थिनिंग दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको अस्थमा है या लिवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. यह इस दवा की खुराक या उपयुक्तता को प्रभावित कर सकता है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने से पहले, डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. अपने चिकित्सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं. इस दवा को लेते हुए शराब पीने से बचना सबसे बेहतर है. कॉम्बीफ्लेम टैबलेट में दो दवाएं मौजूद हैं: पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन दोनों का इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में किया जाता है. वे दर्द, सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के विभिन्न तरीकों से काम करते हैं. यह दवा माइल्ड से लेकर माइग्रेन, सिरदर्द, पीठ दर्द, माहवारी (मासिक) दर्द, डेंटल दर्द और रूमेटिक और मांसपेशियों में दर्द से संबंधित मध्यम स्तर के दर्द के इलाज में बेहद असरदार है. इस दवा का एंटी-इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट इसे स्ट्रेन, स्प्रेन और मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के इलाज में अधिक असरदार बनाता है. **अधिकतम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए दिशानिर्देश के अनुसार ही लें.** बहुत अधिक न लें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और इसे जरूरत से अधिक समय तक न लें. आमतौर पर आपको सबसे कम पॉवर वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही ढंग से असर करे. **कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के साइड इफेक्ट–** इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइट इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं. अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. सीने में जलन, अपच, मिचली आना, पेट में दर्द **कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें**– इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. इसे साबुत निगल लें. इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं. कॉम्बीफ्लेम टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है. **कॉम्बीफ्लेम टैबलेट किस प्रकार काम करता है**–कॉम्बीफ्लेम टैबलेट दो दवाओं का मिश्रण है: आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल. यह कुछ विशेष रासायनिक संदेशवाहकों के स्राव को रोकती है जिनके कारण बुखार, दर्द व सूजन (लाल होना और सूजन) होती है. गर्भावस्था के दौरान कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है.. हालांकि, इंसानों से जुड़े शोध सीमित हैं लेकिन जानवरों पर किए शोधों से पता चलता है कि ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डालता है. आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ और संभावित जोखिमों की तुलना करेंगें और उसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगें. **कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें.** स्तनपान के दौरान कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का इस्तेमाल सुरक्षित है. अध्ययन से पता चला है की यह दवा ज्यादा मात्रा मैं ब्रेस्टमिल्क में नहीं जाती है और बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है. कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के इस्तेमाल से सजगता में कमी आ सकती है, आपकी दृष्टि प्रभावित हो सकती है या आपको नींद और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है. इन लक्षणों के महसूस होने पर वाहन न चलाएं. **किडनी** की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी के साथ किया जाना चाहिए. कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है. कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें. किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है. इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल किडनी के कार्य को प्रभावित कर सकता है. **लिवर** की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए. कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है. कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें. हालांकी, गंभीर लीवर संबंधित रोग एंड एक्टिव लीवर संबंधित रोग से पीड़ित मरीजों को कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है.

कैंसर रोग को दोबारा होने से रोकेगी ये नई दवा

मुंबई– कैंसर रोग को दोबारा होने से रोकने की दिशा में नई दवा को कारगर माना गया है। इस दवा की कीमत मात्र सौ रुपये है। टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने ऐसी दवा बनाने का दावा किया है जिसके जरिए कैंसर की चौथी और अंतिम स्टेज यानी मेटास्टेटिक कैंसर का इलाज करने में आसानी हो सकेगी। गौरतलब है कि मेटास्टेटिक कैंसर को स्टेज 4 कैंसर कहते हैं जिसमें कैंसर की कोशिकाएं मुख्य जगह से अलग होकर बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल जाती हैं। इसी मेटास्टेटिक कैंसर के रिस्क को कम करने की दिशा में टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने न्यूट्रास्युटिकल थेरेपी डेवलप की है। इसमें रेसवेरेट्रॉल और कॉपर की संयुक्त प्रो-ऑक्सिडेंट टैबलेट को इस्तेमाल किया जाएगा। इस दवा के जरिए चौथी स्टेज के कैंसर को रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। अभी तक कैंसर के पूरे इलाज के बाद भी कैंसर सेल्स शरीर पर फिर से हमला कर देती थी। अब इस दवा के जरिए ऐसा होने से रोके जाने में मदद मिल सकेगी, ऐसा दावा किया गया है। मुंबई में स्थित एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर अस्पताल के डॉक्टर इंद्रनील मित्रा ने बताया कि डॉक्टरों ने पहले चूहो पर शोध किया। चूहों की बॉडी में इंसानों की कैंसर कोशिकाओं को डाला गया। कुछ दिन बाद चूहों में कैंसर विकसित हुआ। इसके बाद रेडिएशन, कीमोथैरेपी और सर्जरी के जरिए उनका इलाज किया गया। इस सामान्य और प्रचलित इलाज में कैंसर कोशिकाएं छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर नष्ट तो हो गईं। कुछ कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गईं, जिससे कैंसर के फिर से होने का रिस्क बढ़ गया। इसके बाद चूहों को न्यूट्रास्युटिकल थेरेपी के तहत रेसवेरेट्रॉल और कॉपर (तांबा) की कंबाइन प्रो-ऑक्सिडेंट टैबलेट दी गई। इसके अलग और अप्रत्याशित रिजल्ट दिखाई दिए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की इस रिसर्च में दावा किया गया है कि रेसवेरेट्रॉल और कॉपर (तांबा) की कंबइन प्रो-ऑक्सिडेंट टैबलेट दिए जाने के बाद शरीर में क्रोमेटिन कणों को बेअसर करने में सफलता मिली है। यही क्रोमेटिन कण शरीर में फिर से कैंसर होने का खतरा पैदा करते हैं। बताया गया कि कॉपर-रेसवेरेट्रॉल कंबाइन प्रो-ऑक्सिडेंट एक घरेलू नुस्खे के तहत बनाई गई है। जो कैंसर के आखिरी स्टेज के कैंसर के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट को रोकने में भी कारगर है। डॉक्टरों का कहना है कि अब इस टैबलेट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलने का इंतजार है। कैंसर के दूसरे इलाज की अपेक्षा यह टैबलेट काफी सस्ती है और इसकी कीमत महज 100 रुपए है। ये दवा कैंसर को खत्म करने के लिए की जाने वाली कीमोथैरेपी के साइड इफेक्ट भी कम करेगी और दूसरी बार कैंसर होने की आशंका को भी रोक देगी।

गाजियाबाद में फेक मेडिसिन गैंग का भंडाफोड़, 1.10 करोड़ का माल जब्त

यूपी के गाजियाबाद में नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है. ड्रग डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख की नकली दवाइयां मौके से जब्त की हैं, ये नकली दवाइयां नामी कंपनियों के नाम से पैक करके बेची जा रही थीं. यह कार्रवाई गाजियाबाद के राजेंद्र नगर और भोपुरा इलाके में हुई है, इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. फैक्ट्री को सील कर जांच शुरू कर दी है. दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फैक्ट्री पर रेड के दौरान हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है. यहां LED Bulb की इस फैक्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और Antacid की नकली दवाइयां बनाकर बाजारों में बेची जा रही थीं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस फैक्ट्री और गोदाम से एक करोड़ 10 लाख रुपये की नकली दवाइयां बरामद की हैं. पुलिस का कहना है कि इस फैक्ट्री में ब्रांडेड दवाइयों को कॉपी करके नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं. ये सारी वो दवाइयां थीं, जिनकी भारत में सबसे ज्यादा बिक्री होती है. ये भी संभव है कि आपके परिवार में कोई सदस्य इन दवाइयों को खा रहा हो. बड़ी बात ये है कि यहां जो नकली दवाइयां बन रही थीं, वो हैदराबाद तक सप्लाई होती थीं. इस फैक्ट्री में नामी कंपनियो की नकली दवाइयों को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था. ड्रग विभाग की टीम ने लाखों रुपए कीमत की नकली दवाइयां बनाने के उपकरण के साथ ही भारी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने का रॉ मेटीरियल बरामद कर लिया है. ड्रग विभाग के अधिकारियो के अनुसार यह नकली दवाइयां जिन्हें लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए ले रहे थे, वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ ही जानलेवा तक साबित हो सकती है. गाजियाबाद में ड्रग विभाग को एक फैक्ट्री में नकली दवाइयों को मैन्युफैक्चर किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 4 मार्च से एक बड़े ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत छापेमारी की की गई. गाजियाबाद ड्रग्स विभाग के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस का साथ लेकर ऑपरेशन चलाया गया. जिसके चलते साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में नकली दवाई की फैक्ट्री को संचालित होते पकड़ा गया है. पुलिस के मुताबिक विजय चौहान नाम का शख्स फैक्ट्री को संचालित कर रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक पिछले एक साल से ड्रग विभाग और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था. फैक्ट्री के बाहरी हिस्से में दिखाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आरोपी ने एलईडी बल्ब रिपेयर करने की फैक्ट्री लगाई थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर बड़े पैमाने पर नकली दवाई बनाने का काम किया जा रहा था. जब औषधि विभाग (ड्रग्स) के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्थानीय साहिबाबाद थाना पुलिस के साथ राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री और न्यू डिफेंस कॉलोनी भोपुरा के गोदाम में 2 जगहों पर छापेमारी की तो तो दोनों जगहों से करीब 80 लाख रुपए की नकली दवाइयां मिलीं. इसमें गैस, शुगर और बीपी जैसी बीमारियों में काम आने वाली नामी कंपनियों की नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई. रेड में मौके से लाखों रुपए का कच्चा माल, मशीन और नकली दवाइयां बरामद हुईं हैं. जांच टीम ने 14 सैंपल जांच के लिए भेजे है. ड्रग विभाग की टीम ने साहिबाबाद थाने में नकली दवा बनाने, बेचने व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही फैक्ट्री संचालक विजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया है. ड्रग्स इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि साहिबा. बाद क्षेत्र में नकली दवाइयां बनाने का इनपुट मिला था. टीम नकली दवाई बनाने वालों पर नजर बनाए हुए थी. विभागीय अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच और साहिबा. बाद थाना पुलिस टीम को साथ लेकर सर्वे किया. नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से सन फार्मा, डॉ. रेड्डी लैब, ग्लेनमार्क जैसी नामी कंपनियों की नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं. नकली दवाइयों की फैक्ट्री से नामी ब्रांड कंपनी की डमी दवाई, ओमेज डीएसआर और पैन डी के कैप्सूल, खाली खोखे, पैकेजिंग मेटेरियल, हाईटेक बिलस्टर पैकेजिंग मशीन, भारी मात्रा में खाली कैप्सूल शैल, एमबोसिंग मशीन, इंकजेट प्रिटिंग मशीन बरामद हुई है. बरामद माल की कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जा रही है, जबकि न्यू डिफेंस कॉलोनी स्थित गोदाम से भी नकली दवाइयां मिली हैं, जिनमें ग्लोकॉनॉर्म जी 2 और जी 1, Telma-H, Telma-M पेंटोसिड DSR, ओमेज DSR, मॉबीजॉक्स के साथ ही दवाइयों को बनाने का कच्चा माल, पैकेजिंग मेटेरियल और मशीन, वजन मशीन आदि बरामद किए गए हैं. तेलंगाना और रुड़की से नकली दवाइयों का रॉ मेटीरियल मंगाया जाता था. हैरानी की बात ये है कि इन नकली दवाइयों की सप्लाई हैदराबाद और अमृतसर में भी की जा रही थी. हालांकि आम लोग नकली दवाइयों को देखकर पहचान नहीं सकते, लेकिन ड्रग अधिकारियों के अनुसार दवाई खरीदते समय उनका बिल जरूर लेना चाहिए. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो Telma-M और Telma-H जैसी दवाइयां खाते हैं. जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है, वो नियमित रूप से Gluco-Norm जी-2 और जी-1 नाम की दवाइयां खाते हैं. और Antacid की दवाइयों में Pantocid DSR और OMEZ DSR नाम की दवाई खाई जाती हैं, ये वो दवाइयां हैं, जो देश के लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग नियमित रूप से खाते हैं. इस छापेमारी में ये पता चला है कि इन्हीं नामों से नकली दवाइयां बाजारों में बेची जा रही हैं और इनकी पैकेजिंग असली दवाइयों के जैसी ही होती है. इस वजह से लोग असली और नकली दवाइयों में कभी अंतर ही नहीं कर पाते. देश में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो इन दवाइयों को खाने के बाद भी बीमार रहते हैं और ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं नकली दवाइयां खा रहे होते हैं.

नकली दवाइयों से बचने के लिए इन 5 बातों का रखें ध्यान..

2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेची जा रही कुल दवाइयों में से लगभग 20 फीसदी दवाइयां नकली होती हैं और नकली दवाइयों का मार्केट हमारे देश में 35 हजार करोड़ रुपये का हो चुका है. यानी आज देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो असली बीमारियों को दूर करने के लिए नकली दवाइयां खा रहे हैं.

इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप खुद को नकली दवाइयों से बचा सकते हैं.

1–अगर कोई दवाई अपनी निर्धारित कीमत से बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है या दुकानदार आपको स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर के नाम पर कोई दवाई बेहद कम दामों पर दे रहा है, तो उस दवाई की प्रमाणिकता जरूर चेक कीजिए. जैसे.. अभी सभी दवाइयों पर एक बार कोड जरूर होता है, जिसे स्कैन करके आप उस दवाई के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वो दवाई असली है या नकली.

2–सम्भव हो तो जो दवाइयां आप खा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखाएं.

3–ऐसी दुकानों से ही दवाइयां खरीदें, जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हुई है.

4–दवाइयां खरीदते समय ये जरूर सुनिश्चित करें कि उनकी सील टूटी हुई ना हो और उनकी पैकेजिंग में भी कोई गड़बड़ी ना हो.

5–दुकानदार से दवाइयों का बिल जरूर लें, क्योंकि जब आप दवाइयों का बिल लेते हैं, तो दुकानदार आपको नकली दवाई देने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिल होने से वो लम्बी कानूनी कार्रवाई में फंस सकता है. – **राजेन्द्र निगम, जौनपुर, मो० 9415555194.**

संशोधन विधेयक 2016 को वापस लिया

शिमला– औषधि और प्रसाधन सामग्री हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2016 को वापस ले लिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस ले लिया गया। गौरतलब है कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि मादक सामग्री पकड़े जाने की सूरत में पहले गुनाह को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता था। अब यह आरोपी को ही साबित करना होगा कि वह दोषी नहीं है। इसे गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बनाने की भी संस्तुति की गई। बता दें कि यह विधेयक पिछली कांग्रेस सरकार के समय राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। इसे राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से 4 नवंबर 2016 को प्रेषित किया गया। भारत सरकार की ओर से 25 अप्रैल 2017 को इस संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसे 19 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार को भेजा गया। 24 जून 2019 को यह मामला केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है। केंद्र सरकार ने 20 जून 2022 को इस बारे में अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस विधेयक में जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं, उनका औषधि एवं प्रसाधन सामग्री संशोधन अधिनियम 2008 में पहले से ही प्रावधान है। राज्य सरकार इस विधेयक को वापस लेने के बारे में विचार करे। राज्य मंत्रिमंडल की 12 जनवरी 2024 की बैठक में इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

मैडीकल दर्पण मीडिया हाऊस की ओर से जन्मदिन पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं

SHRI MUNAF BHAI JI	SURAT	10/03/1987	9173373700
DR. LALIT KUMAR JI	BULANDSHAHR	10/03/1988	9756484621
SHRI VIKRAM D. TEJWANI JI	JALGAON	11/03/1978	9422275387
SHRI NILESH BHALGHAT JI	PUNE	13/03/1977	9860361005
SHRI DINESH CHAND GARG JI	DHAULPUR	14/03/1973	9785166315
SHRI DILIP B. JAIN	NANDURBAR	14/03/1971	7972837088
SHRI SANJAY B. LATHIYA JI	SURAT	16/03/1980	9879655618
SHRI SANJAY AGRAWAL JI	JAIPUR	16/03/1970	8947897298
SHRI RAUNAK AGARWAL JI	AGRA	19/03/1991	9997173260
SHRI GAJANAND R. THORAT JI	NASHIK	19/03/1985	9657973951
SHRI SUNIL KUMAR BANSAL JI	AGRA	20/03/1968	9412652474
SHRI KAMAL SINGH BAGHEL JI	AGRA	21/03/1979	7983010302
SHRI ABHAY KUMAR A. SANCHETI JI	WARDHA	21/03/1982	9021043699
SHRI NARENDRA GATKINE JI	NAGPUR	21/03/1975	9405138902
SHRI ASHISH SHARMA JI	AGRA	22/03/1979	9837279162
SHRI MAHESH BHAI G. PATEL JI	BANASKANTHA	23/03/1956	9998960399
SHRI CHETAN VYAS JI	VADODARA	23/03/1966	9824073433
SHRI HARSHAL BHAREKAR JI	PUNE	23/03/1986	9503850155
DR. AMIT CHAUDHARY JI	BULANDSHAHR	23/03/1994	7895156670
DR. MAHESH SHARMA JI	BULANDSHAHR	25/03/1992	9759830704
Shri. M.K. MATH JI	BIJAPUR	26/03/1967	9448689295
SHRI PRSHANT CHANDEWAR JI	WARDHA	27/03/1975	9423605604
SHRI SACHIN MAHAJAN JI	JALGAON	27/03/1986	9604508080
Shri ATUL JAIN JI	SONIPAT	31/03/1973	8146093465
SH. SAVENDER SINGH JI	BULANDSHAHR	01/04/1966	9557912074
SADDAM HUSAIN JI	BULANDSHAHR	02/04/1994	8057764142
SHRI VIJAY RATHI JI	PUNE	03/04/1970	9890002088
SHRI HEMANT P.BENDALE JI	JALGAON	05/04/1968	9923484882
SHRI ANIL KUMAR GUPTA JI	AGRA	05/04/1968	9808323219
SHRI LAKHICHAND JAIN JI	JALGAON	05/04/1972	9823060465
SHRI DEEPAK BADKE JI	SATARA	05/04/1975	9923477763
SHRI MANOJ KUMAR MITTAL JI	AGRA	06/04/1975	9412331049
MOHD. KADIR SHEKH	PUNE	06/04/1975	8087930346
SHRI MANISH SAKODE JI	NAGPUR	06/04/1982	9326604835
SHRI ASHISH R. AGARWAL JI	GONDIA	06/04/1982	8552839533
MOHD.RAHUL KHAN	ALWAR	06/04/1999	7240300354
SHRI SANTOSH DEVIDAS TAMBE JI	PUNE	07/04/1977	9860414062
SHRI KISHOR SHARMA JI	PUNE	07/04/1980	8975046079
MOHD. IRFAN KHAN	ALWAR	07/04/1995	9001647086
SHRI SANDEEP BORA JI	NASHIK	08/04/1971	9923280219
SHRI TAMBE DEVIDAS JI	PUNE	08/04/1986	9860484048
SHRI BALKRISHNA B. SONAWANE JI	JALGAON	08/04/1975	9423915795
SHRI ABHAY K. GUGALE JI	PUNE	09/04/1974	9730449555
SHRI KISHOR KUMAR JI	AGRA	10/04/1971	9837063302

ब्लड बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए

हैदराबाद– मानव प्लाज्मा की अवैध बिक्री करने पर दो ब्लड बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने की। अधिकारियों ने बताया कि 2 फरवरी को मूसापेट में अवैध प्लाज्मा संग्रह रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। इस संबंध में श्रीकारा हॉस्पिटल ब्लड सेंटर न्यू लाइफ एजुकेशनल सोसाइटी ब्लड सेंटर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। डीसीए अधिकारियों ने 2 फरवरी को मूसापेट में एक आवासीय भवन में स्थित हेमो सर्विस लैबोरेटरीज पर छापा मारा। उन्होंने फ्रीजर में संग्रहीत मानव प्लाज्मा बैग के एक विशाल भंडार का पता लगाया। जांच में पता चला कि अपार्टमेंट के भीतर आर. राघवेंद्र नाइक नामक व्यक्ति हेमो सर्विस लेबोरेटरीज नामक फर्म का संचालन कर रहा है। वह अवैध रूप से विभिन्न ब्लड बैंकों से प्लाज्मा एकत्र करता है और उन्हें अनधिकृत तरीके से बिक्री के लिए जमा कर रहा है। डीसीए अधिकारियों ने पाया कि श्रीकारा हॉस्पिटल ब्लड बैंक और न्यू लाइफ एजुकेशनल सोसाइटी ब्लड सेंटर ने नियमों का पालन न करते हुए हेमो सर्विस लैबोरेटरीज के आर.राघवेंद्र नाइक को अवैध रूप से प्लाज्मा बेचा। इसके चलते डीसीए अधिकारियों ने तुरंत दो ब्लड बैंकों पर छापा मारा और सत्यापन के बाद हेमो सर्विस लेबोरेटरीज को प्लाज्मा की अवैध बिक्री में शामिल पाया। डीसीए तेलंगाना ने ब्लड बैंक से प्लाज्मा की अवैध बिक्री और ब्लड बैंक मानदंडों के अनुरूप न होने के संबंध में दो ब्लड बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीसीए के महानिदेशक कमलासन रेड्डी ने कहा कि ब्लड बैंकों द्वारा प्लाज्मा की अवैध बिक्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए व्यापक जनहित में दो ब्लड बैंकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सन फार्मा कंपनी ने किया ऐलान

मुंबई– सन फार्मा कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। फार्मा ने जानकारी दी है कि उसने अमेरिकी कंपनी Surgimatix, Inc में हिस्सेदारी खरीद के लिए करार किया है। कंपनी अमेरिकी कंपनी में 16.33 फीसदी हिस्सा खरीदना चाहती है। सन फार्मा ने 30 लाख डॉलर में इस हिस्सेदारी खरीद के लिए करार किया है। एक्सचेंज को दी जानकारी में सन फार्मा ने कहा कि कंपनी ने Surgimatix, Inc के साथ एक समझौता किया है, जिसके अनुसार कंपनी Surgimatix, Inc के 16.33 फीसदी शेयर हासिल करने के लिए सहमत हो गई है। बता दें कि कंपनी का शेयर 0.71 फीसदी की तेजी के साथ 1541 रुपये पर बंद हुआ। शेयर का 52 वीक हाई 1,555.10 रुपये है। सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज (सन फार्मा) का मार्केट कैप दिसंबर 2023 में 3 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। अमेरिकी कंपनी Surgimatix,Inc में हिस्सेदारी खरीद के लिए करार Surgimatix, Inc मिशिगन स्टेट में इनकॉरपोरेटेड कंपनी है, जिसका हेड क्वाटर इलिनोइस, अमेरिका में है. कंपनी laparoscopic hernia रिपेयर और और अन्य इनवेसिव सर्जरी के लिए एक प्रोप्राइटरी सॉफ्ट टिश्यू फिक्सेशन डिवाइस डेवलप करने के बिजनेस में लगी हुई है। दिसंबर में समाप्त तिमाही में फार्मा कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तीसरी तिमाही में सन फार्मा कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,839 करोड़ रुपये रहा है। जबकि, इसके 2,138 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। गौरतलब है कि बीते साल समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,139 करोड़ रुपये रहा था।

दवा फैक्ट्री में लगी आग

नोएडा– प्राप्त समाचार के अनुसार आग से फैक्ट्री में रखी दवाइयां और बहीखाते जलकर राख हो गए। आग लगने की घटना से चारों ओर हडकंप मच गया। सूचना देने पर दमकल विभाग की छह गाडियां मौके पर पहुंची और डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से किसी जनहानि की खबर नहीं है। सेक्टर–3 में चिस्टेनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दोपहर के समय आग लग गई। आग फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से के टीन शेड में लगी। यहां एसी में शॉट सर्किट हुआ। इससे टीन शेड के नीचे रखी दवा और पुरानी किताबों और ऑफिस की फाइलों में आग लग गई। आग को देखकर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और फायर विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने सुरक्षा के तौर पर आसपास की फैक्ट्री के लोगों को भी बाहर निकाल दिया। ताकि आग फैले तो कोई जनहानि नहीं हो पाए। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग को फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया।

दवा एजेंसी सील

रायबरेली– दवा एजेंसी पर छापामारी के दौरान एक्सपायर्ड इंजेक्शन मिलने पर उसे सील कर दिया गया। औषधि व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ऊंचाहार में अल्कोहल युक्त दवाओं की जांच के लिए छापेमारी की थी। एक दवा एजेंसी से 45 बोतल स्प्रिट बरामद होने के बाद उसे सील कर दिया गया। वर्ष 2021 में एक्सपायर्ड 87 इंजेक्शन फ्रिज में रखे मिले। सभी को नष्ट कराया गया। जांच के दौरान छह दवाओं के नमूने भरने के बाद 10 दवाओं की बिक्री रोक दी। पांच संचालक मेडिकल स्टोर बंद करके भाग गए। आठ दवा विक्रेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अल्कोहल युक्त दवाओं की जांच के लिए ऊंचाहार में छापे मारे। जांच के दौरान यश एजेंसी में फिजीशियन सैंपल बरामद हुए। यहां 45 बोतल स्प्रिट मिली। स्प्रिट में 70 प्रतिशत अल्कोहल पाया गया। इसके चलते स्प्रिट को सील कर दिया गया। उक्त एजेंसी से दो दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। इसी के साथ ही तीन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तम एजेंसी के फ्रिज में एक्सपायर्ड इंजेक्शन बरामद उन्होंने बताया कि उत्तम एजेंसी के फ्रिज में एक्सपायर्ड इंजेक्शन मिले हैं। ये इंजेक्शन वर्ष 2021 में ही एक्सपायर्ड हो गए थे। सभी 87 इंजेक्शनों को नष्ट कराने के साथ ही दो दवाओं के सैंपल लेकर चार दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। अनिल मेडिकल स्टोर से दो दवाओं के सैंपल लेने के अलावा तीन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई है। यहां कई खामियां मिली। शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उपरोक्त तीनों दवा दुकानदारों को नोटिस थमाए गए हैं। इनके अलावा, छापामारी की सूचना मिलने पर अपनी दुकानें बंद करके भागे रवी मेडिकल स्टोर, वीरेंद्र मेडिकल स्टोर, सम्राट मेडिकल स्टोर, त्रिपुरारी एजेंसी समेत पांच दवा दुकानदारों को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।

अस्पताल में मरीज क्यूआर कोड के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं

जयपुरः राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मान सिंह अस्पताल ने क्यूआर कोड स्थापित किए हैं जो लोगों को सुविधा में सफाई के संबंध में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देते हैं, अस्पताल प्रशासन ने कहा। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने बताया कि मुख्य भवन और उससे जुड़े बांगड़ अस्पताल के गलियारों सहित कई स्थानों पर क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं. पिछले लगभग दस दिनों में सिस्टम पर कई शिकायतें आई हैं जिनका तुरंत समाधान किया गया। शर्मा ने कहा, यह पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर की गई , जिन्होंने उदयपुर के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस प्रणाली को देखा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके तस्वीरें अपलोड कर सकता है। उन्होंने कहा, शिकायत पर्यवेक्षक को भेजी जाती है और इसका तुरंत समाधान किया जाता है। इस प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और अब वार्डों जैसे अधिक स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान सवाई मान सिंह अस्पताल की साफ–सफाई का जायजा लिया है. अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने खराब सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल समेत प्रदेश के हर अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए थे. एसएमएस अस्पताल में साफ–सफाई की निगरानी के लिए क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे मरीज और उनके परिवार के सदस्य लिखित में शिकायत भेज सकते हैं। वे अपने फोन पर फोटो खींचकर और क्यूआर कोड स्कैन करके गंदे वार्डों, शौचालयों या गलियारों के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शर्मा ने कहा, शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाता है।

फार्मेसी के गोदाम पर रेड

हैदराबाद– फार्मेसी के गोदाम पर छापा मारकर खाद्य उत्पाद के रूप में निर्मित विटेंसी कैप्सूल जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई टीएस ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (टीएसडीसीए) के ड्रग इंस्पेक्टरों ने की। टीएसडीसीए ने ब्लूटेन फार्मेसी, पेट बशीराबाद, कुथबुल्लापुर के परिसर में छापामार कर विटेंसी कैप्सूल को जब्त किया। इसे खाद्य लाइसेंस (एफएसएसएआई लाइसेंस) के तहत खाद्य उत्पाद या न्यूट्रास्युटिकल के झूठे दावे के रूप में गलत तरीके से निर्मित किया गया था। जब्त किए गए कैप्सूल नॉक्स लाइफ साइंसेज, गुल्लरवाला गांव, सोलन, हिमाचल प्रदेश में निर्मित पाए गए हैं। इनको एक्सेनिक हेल्थकेयर, मालकपेट द्वारा खाद्य उत्पाद/न्यूट्रास्युटिकल के रूप में अवैध रूप से बिक्री किया जा रहा था। उत्पाद विटेंसी कैप्सूल के लेबल पर दावा किया गया है कि इसमें चिकित्सीय खुराक सीमा के भीतर आने वाली मात्रा में विटामिन शामिल हैं। इस कारण औषधि नियमों की अनुसूची के अनुसार, उत्पाद को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत नामति किया गया है। टीएसडीसीए के अनुसार इसे विटामिन की कमी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार विटेंसी कैप्सूल का निर्माण केवल औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत जारी ड्रग लाइसेंस के तहत किया जाना चाहिए। यह औषधि नियमों की अनुसूची–एम में उल्लिखित अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का सख्ती से पालन करता है। इसे अनिवार्य रूप से औषधि नियमों की अनुसूची–एम और भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा। ब्लूटेन फार्मेसी में छापेमारी के दौरान डीसीए अधिकारियों ने कुल 30 विटेंसी कैप्सूल (बी. नं. पीएफ–2743) जब्त किये हैं। खाद्य लाइसेंस के तहत गलत तरीके से निर्मित और बेची जाने वाली दवाएं अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के अनुसार उत्पादित नहीं की जाती हैं। अक्सर भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहती हैं। ऐसे उत्पाद मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं और इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं।

पोर्टेबल डायग्नोस्टिक एमआरआई स्कैनर के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली

मुंबईः न्यूरो42, इंक ने घोषणा की कि उसे अपने पोर्टेबल डायग्नोस्टिक एमआरआई स्कैनर के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएस एफडीए) से 510(I) मंजूरी मिल गई है। एमआरआई प्रणाली एक मरीज को इमेजिंग सूट में ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थितियों वाले मरीजों के लिए समय पर निदान और उपचार के परिणामों में सुधार होता है। न्यूरो42 की संस्थापक और मुख्य रणनीति अधिकारी अभिता बत्रा ने कहा, ष्हम अपने बेडसाइड एमआरआई उत्पाद की एफडीए मंजूरी की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं । हमारी टीम ने रोगी देखभाल में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया है, और अब हम अंततः न्यूरोइमेजिंग तक पहुंच में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक मूल्यवान उपकरण प्रदान कर सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य एमआरआई तक पहुंच का विस्तार करना और समय-संवेदनशील वातावरण में कार्रवाई योग्य इमेजिंग के साथ निदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, खासकर उन रोगियों के लिए जो पारंपरिक एमआरआई स्कैन से गुजरने में असमर्थ हैं। इस न्यूरो42 एमआरआई को इस साल के अंत में अमेरिकी बाजार में लॉन्च किया जाएगा। न्यूरो42 के निदेशक मंडल कृष्णा भूपाल ने कहा , "न्यूरो42 एमआरआई को भारत में पहले से ही रोमांचक समीक्षा मिल रही है। हमने तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित कई राज्यों में सरकारी और निजी चिकित्सा सुविधाओं से गंभीर पूछताछ एकत्र की है । एफडीए की मंजूरी के साथ, हम इस साल के अंत में इन बाजारों में सेवा देने में सक्षम होंगे। भूपाल ने कहा, मैं कंपनी के विकास के अगले चरण और भारत के बदलते स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्सुक हूं।

ब्लड सेंटर का लाइसेंस सस्पेंड

फर्रुखाबाद- हॉस्पिटल के ब्लड बैंक का लाइसेंस सस्पेंड करने का समाचार है। जांच के दौरान डॉक्टर सलाह के बिना ही रक्तदान कराने का मामला सामने आया है। शहर के आवास विकास तिराहा स्थित सिटी हास्पिटल का संचालन कायमगंज विधायक डॉ. सुरभी के पति अजीत गंगवार चलाते हैं। औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि सिटी हास्पिटल में संचालित ब्लड सेंटर का पूर्व में निरीक्षण किया गया था। उस दौरान कई कमियां पाई गई थीं। डोनर रजिस्टर पर किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं थे। इससे साफ है कि रक्तदाता की जांच किए बिना रक्तदान कराया जा रहा था। यह नियम विरुद्ध है। अन्य कमियां भी मिली थीं। उनकी जांच रिपोर्ट पर कमियों को देखते हुए औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, मुख्यालय खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा सिटी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि इन कमियों के दूर होने तक ब्लड सेंटर में रक्तदान व रक्त की बिक्री पर रोक लगा दी गई। जांच पूरी होने तक रक्तदान व विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। अन्य मामले में औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। इस दौरान कई स्टोरों पर फार्मासिस्ट नहीं मिले। कमियों के संबंध में उन्हें नोटिस दिया गया। दो दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने मेडिकल स्टोरों की जांच की। उन्होंने नाला बघार स्थित सिद्धार्थ व दुबे मेडिकल स्टोर से दवा का एक-एक सैंपल लिया। दोनों मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट नहीं मिले। फर्म द्वारा सभी मरीजों को दवा बिक्री रसीद नहीं दी जा रही थी। गांव देवरामपुर में बृजेश मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट रोहित कुमार मौजूद मिला, लेकिन दवा लेने वालों को बिक्री रसीद नहीं दी जा रही थी। औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर कमियों के संबंध में संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दो संदिग्ध दवाओं की जांच के लिए सैंपल राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजे गए हैं।

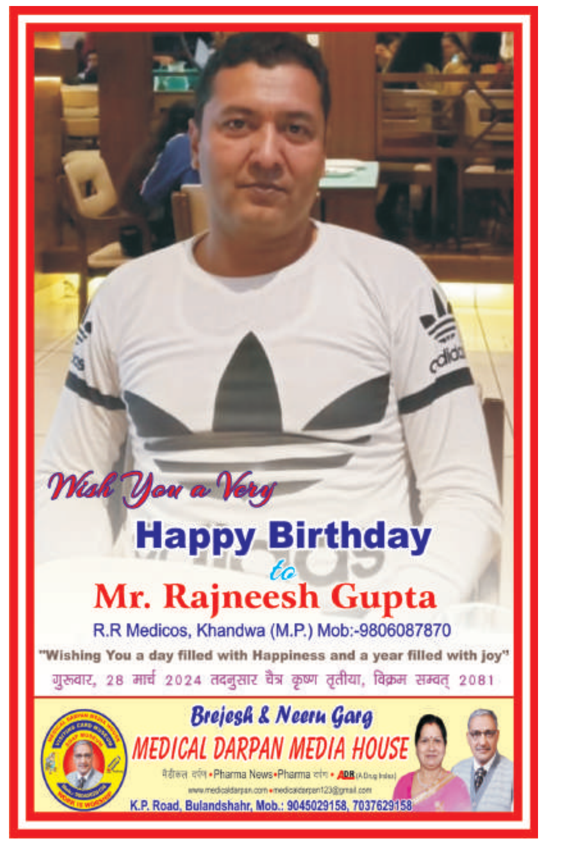

तस्कर गिरफ्तार

गौरेला- प्रतिबंधित नशीली दवा के अवैध धंधे से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में बुप्रेनोरफिन, 48 नग एविल, आठ मोबाइल और बिक्री की रकम जब्त की है। तीनों आरेपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी गौरेला को सूचना मिली कि दो बालक बाबा तालाब के पास नशे की हालत में बैठे हुए हैं। पुलिस टीम को मौके पर भेजकर उन बालकों से पूछताछ की। दोनों ने नशीली दवा का सेवन किया हुआ था। उन्होंने बताया कि वे सारबहरा के बबली साहू एवं पुराना गौरेला के नसरीन अली के पास से नशीले इंजेक्शन खरीद कर लाए थे। गौरेला का प्रिंस रजक इनको इंजेक्शन लाकर देता है। इस संबंध में पुलिस ने तीनों आरो. पितों के बारे में जानकारी ली। दो आरोपित अपने घर में तथा एक आरोपित पेंड्रा में होने की जानकारी मिली। दूसरी टीम थाना पेंड्रा एवं साइबर सेल की तैयार कर एक साथ तीनों को हिरासत में ले लिया गया। उनसे प्रतिबंधित एम्पुल, मोबाइल आदि जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपित बबली साहू पिता भास्कर साहू (34) निवासी सारबहरा, गौरेला के पास से 17 नग बुप्रेनोरफिन, 62 नग एविल, एक मोबाइल बिक्री रकम चार हजार चार सौ रुपए जब्त कर धारा 21, 22 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार आरोपित नसरीन पति मोहम्मद नावेद अली (30) निवासी भरियानखोर, पुराना गौरेला के पास 12 नग बुप्रेनोरफिन, 31 नग एविल, एक मोबाइल और बिक्री रकम जब्त की। मामले में थाना पेंड्रा पुलिस ने 22 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसी प्रकार से आरोपित प्रिंस रजक पिता स्व कमला प्रसाद रजक (22) वार्ड क्रमांक सात खैरमाई चौक, गौरेला को पकड़ा है। गौरतलब है कि नशे के खिलाफ प्रभावी रोक के लिए नवपदस्थ एसपी भावना गुप्ता ने एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर, एसडीओपी श्याम कुमार सिदार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों को मेडिकल संचालकों की बैठक कर जिले में नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, परन्तु कमाल की बात यह है कि ये आपकी सारी हड्डीयां तुड़वाने की ताकत रखती है.

स्वप्न शास्त्र

दही देखना

डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा

नए-नए स्थान पर भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा तथा यात्राओं के द्वारा आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा । बड़े शहर में स्थानांतरण होने की संभावना है तथा गांव को छोड़कर शहर में निवास करने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि उत्पन्न होगी तथा दान आदि धार्मिक कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दिनचर्या में परिवर्तन होगा तथा समय का सदुपयोग होगा। अतिथि सत्कार करने का अवसर प्राप्त होगा तथा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों की प्राप्ति होगी। प्रियजनों से भेंट होगी तथा परस्पर उपहारों का आदान-प्रदान होगा। व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान होगा तथा मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक उलझनें समाप्त होगी तथा रुके हुए कार्य बनेंगे किसी बड़े अधिकारी की सहायता के द्वारा बिगड़े हुए कार्य बनेंगे तथा व्यापार में लाभ होगा।

कच्चा फल खाना

व्यापारिक कार्यों में हानि होगी तथा आर्थिक आर्थिक प्राप्ति के अवसरों में कमी आएगी। विदेशी संबंधी कार्यों में असफलता की प्राप्ति होगी तथा पासपोर्ट इत्यादि में अधिक धन व्यय होगा। लकड़ी के कार्यों में निराशाजनक स्थिति रहेगी तथा अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की संभावना है तथा प्रतियोगिता में असफलता का सामना करना पड़ेगा। समय प्रतिकूल रहेगा तथा बनते हुए कार्य भी बिगड़ेंगे । धन के अभाव के कारण अनेक कार्य अपूर्ण रह जाएंगे। प्रेम संबंधों में असफलता प्राप्त होगी तथा किसी प्रकार के संदेह के कारण संबंधों में दरार आ सकती है। माता एवं पिता के स्वास्थ्य की ओर से चिंताएं बनी रहेगी तथा मन किसी अनजाने भय से ग्रस्त रहेगा। सट्टे तथा लाटरी में धन का अपव्यय होगा तथा हानि उठानी पड़ेगी । आर्थिक स्थिति में ना के बराबर सुधार होगा तथा घरेलू सुख सुविधाओं में कमी आएगी। ससुराल पक्ष से संबंधों में कटुता आएगी तथा विवाद होने की संभावना है। सास-श्वसुर की ओर से मिलने वाली सुविधाओं में कमी आएगी तथा जीविकोपार्जन की समस्याएं पूर्ववत् बनी रहेंगी। पारिवारिक उलझनों से घिरे रहेंगे तथा पारिवारिक वातावरण में अशांति व्याप्त रहेगी।

– डा॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मो॰ 9711034710, 8630907504.

आयुर्वेदिक दवा, कैप्सूल बैन

फिरोजाबाद- आयुर्वेदिक दवा पौरूष जीवन और गुड हेल्थ कैप्सूल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध सैंपल जांच के दौरान मानकों पर सही नहीं उतरने के चलते लगाया गया है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने दुकानदारों को इन दवाओं की खरीद व बिक्री न करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जिले में दो आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है। ये दोनों दवाइयां पौरुष जीवन और गुड हेल्थ कैप्सूल हैं। अब इन्हें मेडिकल स्टोर संचालक बेच नहीं सकेंगे। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. शरद वर्मा ने बताया कि नोएडा की कंपनी मैसर्स देव फॉर्मेसी आयुर्वेदिक औषधि पौरुष जीवन कैप्सूल का निर्माण करती है। वहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर की कंपनी मैसर्स मेडविन फार्माटेक गुड हेल्थ कैप्सूल बनाती है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों दवाइयां बाजार में बिक रहीं थीं। प्रदेश स्तर पर इनके सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। जांच रिपोर्ट में दोनों औषधियों में कॉर्टिको स्टेरायड की मात्रा पाई गई। यह जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने बताया कि कार्टिको स्टेरायड का नियमित सेवन करने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लोगों को चलने-फिरने में परेशानी होने लगती हैं। इन दवाओं में जो मिश्रण है, उस पर भी प्रतिबंध है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिले में जो भी मेडिकल स्टोर संचालक इन दवाओं की बिक्री करता मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समय समय पर दवा दुकानों पर छापामारी भी की जाएगी, ताकि इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।

मार्च माह के व्रत एवं त्यौहार

10.03.2024	अमावस्या
14.03.2024	पंचमी
16.03.2024	सप्तमी
17.03.2024	अष्टमी
18.03.2024	नवमी
20.03.2024	एकादशी व्रत
24.03.2024	होली
25.03.2024	रंग
30.03.2024	पंचमी
05.04.2024	जुमा-तुल-विदा
09.04.2024	नवरात्रि प्रारंभ
10.04.2024	झूलेलाल जयंती

नियमों की अनदेखी पर मेडिकल स्टोर को किया सील

कठुआ (जम्मु कश्मीर)- नियमों की अनदेखी करने पर एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार-कम-एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनी की ओर से की गई। तहसीलदार प्रद्युम्न अत्री ने दुकान के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है। साथ ही ब्लॉक मेडिकल अफसर को आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार बनी के तहसीलदार-कम-एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रद्युम्न अत्री ने सूचना मिलने पर बनी बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर जांच की। जांच में पता चला कि यहां बिना किसी फार्मासिस्ट के ही दवाओं की बिक्री की जा रही थी। स्टोर संचालक के पास दवा बिक्री संबंधी कोई दसतावेज नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी बंद पड़े थे। इसके बाद तहसीलदार ने दवा दुकान के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति दुकान पर दवा बेच रहा था, उसके पास कोई मान्य डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं था। वहीं, सीसीटीवी भी बंद थे। उक्त दुकान के संबंध में जिसके नाम पर लाइसेंस था, वह मौके पर मौजूद नहीं मिला। यह नियमों के खिलाफ है। उपरोक्त कमियों को देखते हुए यह दवा दुकान सील की गई है। आगामी कार्रवाई के लिए बीएमओ को कॉपी भेजी गई

टेबलेट-कैप्सूल खाने के बजाए इंजेक्शन दिखाता है जल्दी असर

मुंबई- टेबलेट या कैप्सूल का सेवन करने की अपेक्षा इंजेक्शन का असर जल्दी होना माना जाता है। जबकि दोनों का निर्माण रोग विशेष के लिए ही होता है। तब ये फर्क क्यों होात है। इस विषय में विशेषज्ञों की राय जान लेते हैं। यह सामान्य है कि हर मरीज जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता है। कुछ दवाओं का असर दूसरी दवाओं से जल्दी हो जाता है। जैसे दवा से जल्दी असर इंजेक्शन का माना जाता है। हालांकि, यह संबंधित दवा किसी खास बीमारी के लिए इलाज की स्थिति और इलाज को लेकर मरीज की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का कथन है कि सामान्य तौर पर इंजेक्शन और टेबलेट दोनों प्रभावी रहते हैं। कई मरीज उल्टी या बेहोश होने जैसी स्थिति के कारण टेबलेट या कैप्सूल नहीं ले पाते हैं। ऐसे केस में टेबलेट के बजाए इंजेक्शन लगाना जरूरी हो जाता है। दरअसल, मरीज को ऐसी स्थिति में गोली खिलाना संभव नहीं है। वहीं, इंजेक्शन आमतौर पर दवा को सीधे ब्लड फ्लो या मसल्स में पहुंचाते हैं। इससे ओरल मेडिसिन की तुलना में प्रभाव तेजी से शुरू होता है। हालांकि, दवा और उसके फॉर्मूलेशन के आधार पर इंपेक्ट अलग हो सकता है। गोलियां या कैप्सूल को ब्लड फ्लो में प्रवेश करने से पहले पाचन तंत्र के जरिए से अवशोषित करने की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता है। इस कारण इंजेक्शन की तुलना में गोली का असर होने में देरी हो सकती है।

होम्योपैथी की आड़ में चल रहा कैंसर अस्पताल

इंदौर– होम्योपैथी अस्पताल के नाम पर एलोपैथी इलाज किए जाने और बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे अस्पताल को सील करने की तैयारी है। 50 बिस्तर के इस अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज भर्ती मिले थे। मामला सामने आने पर इस अवैध अस्पताल को सील करने की तैयारी की गई है। गौरतलब है कि अस्पताल में इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी की आड़ में एलोपैथी की दवाइयां भी बेची जा रही थीं। बता दें कि आनंद नगर चितावद स्थित देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर में अवैध रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज करते पाया गया। इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया है। शिकायत मिलने पर एसडीएम जूनी इंदौर योगेश घनगर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में डा. अजहार्डिया ने खुद को इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी कैंसर रोग का विशेषज्ञ बताया। अस्पताल में 13 गंभीर कैसर से पीडित मरीज पाए गए। इन्हें अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किए जाने के बाद अस्पताल को सील किया जा सकता है। जांच में सामने आया कि अस्पताल में एलोपैथिक दवाइयों का भंडारण और बिक्री भी की जा रही थी। इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी की आड़ में मरीजों को बॉटल लगाने, इंजेक्शन देने के साथ–साथ कैंसर का इलाज भी किया जा रहा था। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और फायर सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के साथ–साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया था। यही नहीं, अस्पताल में मरीजों की केस शीट में जारी पैथालॉजी रिपोर्ट भी संलग्न पाई गई। इससे यह साबित हुआ कि बिना पंजीयन के पैथालॉजी और शल्यक्रिया का प्रयोग किया जा रहा था। यहां मरीजों को एनेस्थिसिया देने के साथ–साथ ऑपरेशन करने के भी सबूत मिले हैं। जब अस्पताल संचालक से नगर निगम से व्यावसायिक भवन निर्माण अनुमति के दस्तावेज मांगे गए तो वे भी अस्पताल प्रबंधन नहीं दिखा पाया। इन सब खामियों के वलते अस्पताल को सील करने की सिफारिश की गई है। बताया गया है कि सीलिंग की कार्रवाई आदेश मिलते ही तुरंत कर दी जाएगी।

प्रतिबंधित नशीली दवा के अवैध धंधे से जुड़े तीन गिरफ्तार

गौरेला– प्रतिबंधित नशीली दवा के अवैध धंधे से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में बुप्रेनोरफिन, 48 नग एविल, आठ मोबाइल और बिक्री की रकम जब्त की है। तीनों आरेपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी गौरेला को सूचना मिली कि दो बालक बाबा तालाब के पास नशे की हालत में बैठे हुए हैं। पुलिस टीम को मौके पर भेजकर उन बालकों से पूछताछ की। दोनों ने नशीली दवा का सेवन किया हुआ था। उन्होंने बताया कि वे सारबहरा के बबली साहू एवं पुराना गौरेला के नसरीन अली के पास से नशीले इंजेक्शन खरीद कर लाए थे। गौरेला का प्रिंस रजक इनको इंजेक्शन लाकर देता है। इस संबंध में पुलिस ने तीनों आरोपितों के बारे में जानकारी ली। दो आरोपित अपने घर में तथा एक आरोपित पेंड्रा में होने की जानकारी मिली। दूसरी टीम थाना पेंड्रा एवं साइबर सेल की तैयार कर एक साथ तीनों को हिरासत में ले लिया गया। उनसे प्रतिबंधित एम्पुल, मोबाइल आदि जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपित बबली साहू पिता भास्कर साहू (34) निवासी सारबहरा, गौरेला के पास से 17 नग बुप्रेनोरफिन, 62 नग एविल, एक मोबाइल बिक्री रकम चार हजार चार सौ रुपए जब्त कर धारा 21, 22 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार आरोपित नसरीन पति मोहम्मद नावेद अली (30) निवासी भरियानखोर, पुराना गौरेला के पास 12 नग बुप्रेनोरफिन, 31 नग एविल, एक मोबाइल और बिक्री रकम जब्त की। मामले में थाना पेंड्रा पुलिस ने 22 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसी प्रकार से आरोपित प्रिंस रजक पिता स्व कमला प्रसाद रजक (22) वार्ड क्रमांक सात खैरमाई चौक, गौरेला को पकड़ा है। गौरतलब है कि नशे के खिलाफ प्रभावी रोक के लिए नवपदस्थ एसपी भावना गुप्ता ने एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर, एसडीओपी श्याम कुमार सिदार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों को मेडिकल संचालकों की बैठक कर जिले में नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

निवेदन किया

जौनपुर– जन औषधि केंद्र सदर अस्पताल जौनपुर द्वारा लगातार ब्रांडेड तथा जेनरिक दवाएं बेची जा रही हैं उपभोक्ताओं को जो कैश मेमो दिया जा रहा है उसमें न तो लाइसेन्स नंबर है ना ही बैच नंबर और एक्सपायरी डेट का कॉलम है जो दवा 8 रुपये में प्रधानमंत्री जन औषधि पर बिकनी चाहिए, उसे 90 रुपये में बेचा जा रहा है. सहायक औषधि आयुक्त वाराणसी और औषधि निरीक्षक जौनपुर से निवेदन है कि जांच कर जन औषधि केंद्र सदर अस्पताल जौनपुर का लाइसेंस निरस्त किया जाएं.

–राजेन्द्र निगम,
मो० 9415555194,
केमिस्ट एंड कॉस्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन, जौनपुर

फैक्ट्री सील

अहमदाबाद– नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मौके से पेरासिटामोल समेत करोड़ों रुपये की नकली एंटीबायोटिक दवाइयां जब्त कर ली गई हैं। गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियामक आयुक्त ने नकली दवा के निर्माण और बिक्री से जुड़े इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट के पास से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भुज और ईडर से 1.75 करोड़ से अधिक कीमत की नकली एंटीबायोटिक दवाओं का जत्था बरामद किया है। अहमदाबाद में चंगोदर स्थित फार्माकेम का मालिक दिव्येश जागणी अवैध तरीके से दूसरी कंपनी का नाम और लाइसेंस पर नकली दवाएं बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। आरोपी दिव्येश जागणी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस धंधे में मुख्य सूत्रधार के तौर पर पाइकून फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के नरेश धनवाडीया का नाम सामने आया है। नरेश नकली दवाएं बनवाकर देशभर में उसे सप्लाई करता था। खाद्य एवं औषधि नियामक के कमिश्नर एच. जी. कोशिया के अनुसार दिव्येश जागणी ने ही अन्य कंपनी के नाम और लाइसेंस नंबर का उपयोग कर अवैध रूप से एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए मशीनें खरीदी थी। विभाग ने मौके से दवा बनाने का कच्चा माल, मशीन, नकली दवाएं, पैकिंग मटेरियल समेत 1.25 करोड़ के सामान को जब्त किया है। लोगों की जान से खिलवाड़ करने के गंभीर मामले को देखते हुए उक्त फैक्टरी को सील कर दिया है। पता चला है कि यहां बनी नकली दवाओं को भुज, अहमदाबाद, वडोदरा, ईडर में भेजा जा रहा था। जांच के दौरान इन फैक्टरियों से करीब 51 लाख की दवाएं जब्त की गई हैं। राज्य के खाद्य एवं औषधि विभाग ने ऐजीथ्रोमाइसिन, पेरासिटामोल सहित 9 दवाओं के सैंपल को टेस्ट के लिए वडोदरा स्थित लैब में भेजा है।

कंपनियों को नोटिस जारी

जयपुर– फ्री मेडिसिन के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। राजस्थान में जरूरतमंद मरीजों के लिए लागू की गई मुफ्त दवा योजना में एक दर्जन से अधिक फ्री दवाओं के सैंपल जांच में फैल मिले है। सैंपल फेल की रिपोर्ट आने पर फिलहाल इन दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दवाओं की सप्लाई करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आरएमएससी) के ड्रग अलर्ट में बताया गया है कि सरकारी जांच लैब जांच में कैल्शियम, विटामिन–डी, एमोक्सिसिलिन, लिवोसेटिरिजिन सॉल्ट से बनी टैबलेट–कैप्सूल समेत इंसुलिन इंजेक्शन, कैथेटर के सैंपल फैल पाए गए हैं। बताया गया है कि ये दवाइयां मुख्यत: खांसी, बुखार, जुकाम, एसिडिटी से संबंधित है। गौरतलब है कि सैंपल फेल वाली ये दवाइयां कैडिला, अलायंस बायोटेक, मर्करी लैबोरेट्रीज जैसी नामी कंपनियों से सप्लाई में मंगाई जाती हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आरएमएससी) ने सैंपल फेल होने के बाद इन सभी कंपनियों की दवा सप्लाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनियों को भी दवाइयों की सप्लाई रोकने के लिए कहा है। इनमें 14 कंपनियां हैं, जिनकी 15 दवाइयों के सैंपल फेल मिले हैं यानी उनमें मानक से निचले स्तर का सॉल्ट मिला है। इन सभी कंपनियों को नोटिस दिया गया है।

www.medicaldarpan.com

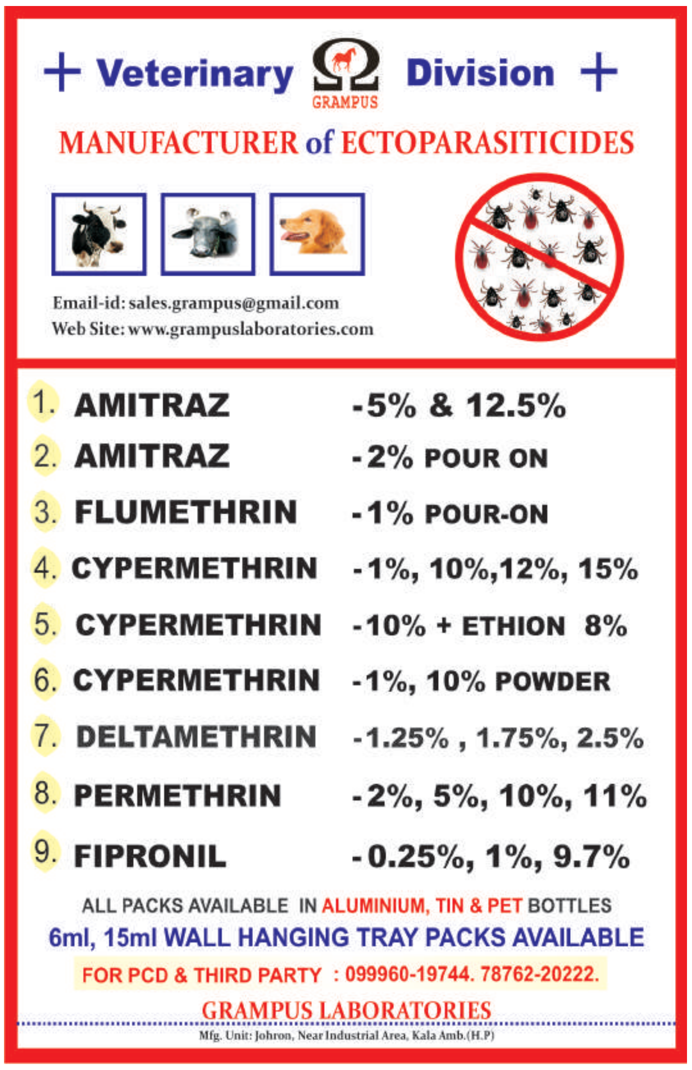

Ceremony & Farewell

Hyderabad- Bhagwan mahavir school of nursing celebrated 17th batch G.N.M student lamp lighting and capping ceremony and 13th batch farewell.The chief guest was sri Mahendra Ranka chairman of mahavir hospital and research center and guests of honour were Mr Sunil Jain , Mr sushil sancheti and Dr .Gisulal jainPrincipal angel bethsheba , tutors kiran mayee , Blessy , jyotsna , 25 seats filled for academic year 2023 - 2024. We provide free seats every year for 18 students and encourage rural background students to get admission in our college.in a press release said by dr Ghisulal Jain trustee.

- Mahavir Hospital & Reserch Centre Masab Tank Ghisulal Jain, M 9030337013 Hyderabad

फर्जी परमिशन लेटर से दवा सप्लाई का टेंडर लेने का आरोपी सीईओ अरेस्ट

यमुनानगर (हरियाणा)- फर्जी परमिशन लेटर बनाकर दवा सप्लाई का टेंडर लेने के आरोप में सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। यह फर्जी पत्र प्रोटेक टेलीलिंक्स फर्म का बनाकर जम्मू कश्मीर से दवाइयों की सप्लाई ली जा रही थी। पुलिस ने आरोपी अजूरा फार्मा न्यूट्रीशियन के सीईओ फरीदाबाद निवासी रितेश चंद्र जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में दिसंबर 2023 में सात लोगों पर केस दर्ज किया था। इनमें से फर्म के सीईओ रितेश चंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस शिकायत में बताया गया कि अनिकेत डिंगरा की सेक्टर 17 स्थित प्रोटेक टेलीलिंक्स फर्म दवाइयां व इंजेक्शन बनाती है। इसके साथ ही मेडिसिन के व्यापार में डील करती है। उनकी फर्म का फरीदाबाद स्थित मैसर्स अजूरा फार्मा न्यूट्रीशियन के डायरेक्टर मदन मोहन, रिक्की चौधरी, नीलेश जैन, सूर्या गुप्ता, सीईओ रजत व सीईओ रितेश चंद्र जैन के साथ व्यापारिक संबंध है। व्यापार के संबंध में अक्सर आरोपितों का यहां अनिकेत डिंगरा के पास आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने दवा सप्लाई के लिए टेंडर निकला था। इसमें अनिकेत की फर्म ने जम्मू व कश्मीर में दवाई सप्लाई के टेंडर के लिए आवेदन किया। जवाब में उन्हें जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड का पत्र मिला। इससे पता लगा कि आरोपित मदन मोहन की फर्म ने अनिकेत की फर्म के नाम से टेंडर के लिए आवेदन किया हुआ है। इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार ने जांच के लिए टीम गठित की। इसमें अनिकेत से भी पूछताछ की गई। साथ ही आरोपित मदन मोहन व उसकी फर्म के अन्य डायरेक्टरों से भी पूछताछ की गई। आरोपियों ने अनिकेत की फर्म का फर्जी स्वीकृति पत्र बनाकर टेंडर के लिए आवेदन किया हुआ था। जांच में मामला सामने आने पर अजूरा फार्मा को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इस मामले में अनिकेत ने सेक्टर 17 थाना पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करवाया। शिकायत के आधार पर आरोपी सीईओ रितेश चंद्र जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

मतदान के प्रति जागरूकता अभियान में साथ है दवा व्यापारी

आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के उत्सव की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं एवं उच्चतम मतदान प्रतिशत के लिए शासन एवं अधिकारी दृढ़ संकल्पित है। लोकतंत्र के इस महानतम उत्सव में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के अभियान में कानपुर के सभी दवा व्यापारी, शासन एवं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है। इसी के निमित कानपुर औषधि निरीक्षक श्रीमती रेखा सचान जी, श्री ओपी सिंह जी के नेतृत्व में एसीएम (फर्स्ट) श्रीमान राजेश कुमार से दवा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन लिखे हुए बैनर का श्रीमान राजेश कुमार जी द्वारा शुभारंभ किया गया। साथ ही इसी स्लोगन को मोहरों में लिखवाकर 200 मोहरों का भी शुभारंभ किया गया। कानपुर के सभी दवा व्यापारी आमजनमानस के बीच जागरुकता लाने के लिए अपने प्रतिष्ठान में ऐसा एक बैनर लगाएंगे तथा दवा के भूरे लिफाफे में मोहर के माध्यम से स्लोगन छापकर अपने ग्राहकों को जागरूक करेंगे। वार्ता में श्रीमान राजेश कुमार ने सभी को वोटर हेल्पलाइन एप्प डाउनलोड करवाया। यह एप्प चुनाव और मतदाताओं के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से चेयरमैन संजय मेहरोत्रा जी, महामंत्री नंद किशोर ओझा, प्रवीन बाजपेई, हरविंदर सिंह भल्ला, सुमित पावा,राजेश गुप्ता, शेष नारायन तिवारी, रज्जन लाल जायसवाल, राकेश गुप्ता, राजीव सिंह, आलोक श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

– संजय मल्होत्रा, कानपुर, मो० 7084000070.

बिमला सुराणा (जैन) का मृत्युप्रांत देहदान किया

तरुण मित्र परिषद के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि 81 वर्षीय बिमला सुराणा जैन धर्मपत्नी एस. एम. सुराणा के परिवारजनों ने मृत्यु के पश्चात उनके नेत्रदान व देहदान का निर्णय लिया और सुपुत्र मितेश सुराणा ने परिषद के महासचिव अशोक जैन को इस आशय की जानकारी प्रेषित की। तत्पश्चात तरुण मित्र परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार जैन (मनोनीत निगम पार्षद) की सलाह पर दधीचि देहदान समिति के संयुक्त महासचिव डॉ विशाल से सम्पर्क कर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मैडिकल सांइसिस ,जी. टी. बी. अस्पताल, दिलशाद गार्डन को देहदान किया गया। यह देहदान मैडिकल के विद्यार्थियों को स्टडी मे सहयोग करेगा। श्री जैन ने अन्य लोगों से भी देहदान अथवा अंगदान व नेत्रदान जैसे पुनीत कार्य मे सहयोग की अपील की। विदित है कि परिषद द्वारा पूर्व मे भी काफी मानवों के नेत्रदान कराए जा चुके हैं **–अशोक जैन, दिल्ली, मो० 9266638138**

विश्वभर में नंबर वन भारतीय फार्मेसी

नई दिल्ली– दवा सप्लाई के मामले में भारतीय फार्मेसी को विश्वभर में नंबर वन पर है। अमेरिका को 40 फीसदी जेनरिक दवाओं की सप्लाई करता है। इसी कारण इसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। गौरतलब है कि भारत दुनिया के कई देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी इकॉनामी अमेरिका के फार्मा बाजार में भी भारत अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक मात्रा में दवाइयां सप्लाई करता है। अमेरिका की कुल जरूरत की 40 फीसदी जेनरिक दवाओं की सप्लाई भारत से ही होती है। जिन कंपनियों के 10 से ज्यादा एक्टिव एपीआई प्रॉडक्ट्स को मंजूरी मिली है, उनमें सबसे ज्यादा भारत की हैं। बता दें कि देश की 183 कंपनियों की दस से ज्यादा दवाओं को अमेरिका में मंजूरी मिली हैं। इस मामले में यूरोपियन यूनियन यानी ईयू सेकंड नंबर पर है। वहां की 83 कंपनियों को अमेरिका में मंजूरी मिली है। चीन तीसरे नंबर पर है। चीन की 35 कंपनियों को अमेरिका में दस से ज्यादा प्रॉडक्ट्स बेचने की मंजूरी मिली है। बाकी सब देशों की बात करें तो उनकी 22 कंपनियों को अमेरिका में यह फैसिलिटी मिली है। इस तरह ईयू, चीन और दूसरे देशों को जोड़ लिया जाए तो उनकी कंपनियों की संख्या 159 बैठती है। यह संख्या भारत से कम है। यही वजह है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि भारत ने कोरोना महामारी के दौरान 70 देशों को वैक्सीन की करीब 5.84 करोड़ डोज मुफ्त भेजी थी। अफ्रीका में जेनरिक दवाओं की कुल मांग का 50 प्रतिशत भारत से ही सप्लाई होता है। भारत दुनिया की कुल वैक्सीन का 60 प्रतिशत और डब्ल्यूएचओ के अनिवार्य टीकाकरण अभियान में लगने वाली कुल वैक्सीन का 70 प्रतिशत उत्पादन करता है।

अमृत और मृत्यु – दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है

ब्रजेश कुमार गर्ग स्वामी की ओर से ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित, ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा मुद्रित तथा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एण्ड पैकिंग लिमिटेड नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में मुद्रित एवं बी.एन.मैडीकल कॉम्प्लैक्स, बुलन्दशहर से प्रकाशित सम्पादक- ब्रजेश कुमार गर्ग.